भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2249

09.12.2024 को उत्तर के लिए

सीओपी, 2024

2249. श्री टी.आर.बालू:

श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2024 में बाकू में आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी 29वें पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी) में शमन कार्य कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं हो सका और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जलवायु वित्त और शमन कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) में शामिल होने के प्रति विकसित देशों की अनिच्छा के संबंध में सीओपी 29 में सहायक निकायों के समापन सत्र के दौरान भारत के रुख का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत का एमडब्ल्यूपी के संबंध में रुख किस प्रकार समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी), अरब समूह और अफ्रीकी वार्ताकारों के समूह (एजीएन) के रुख के अनुरूप है और भारत द्वारा सीओपी-29 में जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों का सामना कर रहे विकासशील देशों हेतु प्रगति की कमी के बारे में व्यक्त की गई महत्वपूर्ण चिंताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ता को सफल बनाने के लिए किन उपायों की योजना बनाई गई है; और

(ङ) उद्देश्यों को बदलन, विकसित देशों द्वारा अपनी जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता और विकासशील देशों हेतु वित्तीय सहायता के प्रावधान के संबंध में भारत द्वारा उठाई गई विशिष्ट चिंताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री;
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वर्ष 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 29) के 29वें सत्र में, पक्षकारों ने शर्म अल-शेख उपशमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्यक्रम पर एक निर्णय को स्वीकार किया है। इस निर्णय में वर्ष 2024 में कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों पर ध्यान दिया गया है। निर्णय में वर्ष 2025 में कार्य कार्यक्रम के तहत की जाने

वाली गतिविधियों का भी प्रावधान है, जिसमें दो संवादों और निवेश केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

(ख) से (घ) सीओपी 29 में सहायक निकायों के क्लोजिंग प्लेनरी में एमडब्ल्यूपी के संबंध में भारत द्वारा किए गए हस्तक्षेप पर जोर दिया गया:

- कुछ पक्षकारों की अतीत में लिए गए निर्णयों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति
- एमडब्ल्यूपी की स्थापना के अधिदेश को दोहराना
- जलवायु कार्रवाई करने की उच्चतम क्षमता रखने वाले विकसित देशों ने लगातार अपने लक्ष्य बदलते हैं उन्होंने जलवायु कार्रवाई में देरी की है, और वैश्विक कार्बन बजट का अत्यधिक अनुपातहीन हिस्सा खर्च किया है।
- विकासशील देशों में विकास की आवश्यकता बनाम तेजी से घटता कार्बन बजट।
- विकसित देशों का दृष्टिकोण जिन्होंने न तो अपने स्वयं के उपशमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन में, और न ही कार्यान्वयन के साधन प्रदान करने में कोई महत्वाकांक्षा दिखाई है।
- पेरिस समझौते में निर्धारित बॉटम-अप एप्रोच, जो कि टॉप-डाउन एप्रोच के विपरीत के अनुपालन हेतु विकसित देशों को प्रेरित किया जा रहा है।

(ङ) सीओपी 29 की वार्ताओ के दौरान, भारत ने पेरिस समझौते में उल्लिखित विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और जुटाने में विकसित देशों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। भारत ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आईपीआर के मुद्दे, एकतरफा उपायों और क्षमता निर्माण की आवश्यकता के महत्व पर भी जोर दिया। भारत ने विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के जुटाने के लक्ष्य की मात्रा के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसमें कोई प्रावधान नहीं है, साथ ही इसका बोझ विकासशील देशों पर डाला जा रहा है।

*****